देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्त्ता या समुचित सरकार

–:प्रारंभिक अधिसूचना:–

(अधिनियम–30 / 2013 की धारा–11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या ......1779...../भू अ० दिनांक : ......28/10/2021......

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **मौजा–फुटाबांध, थाना–देवीपुर, थाना सं०–90, अंचल–देवीपुर, जिला–देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **चांदडीह–तिलौना पथ (भाया सिमरा, खसपेका, पिछड़ीबाद, मथुरापुर, हुसैनाबाद,) पथ परियोजना निर्माण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **मौजा–फुटाबांध, थाना–देवीपुर, थाना सं०–90, अंचल–देवीपुर, जिला–देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.74 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6	35	रैयती	बाड़ी–2	0.13	उगनी देवी पे० अर्जुन महतो वो अंग्रेज यादव वो चन्दर यादव पे० डहरू महतो वो खीरो महतो वो केलू महतो पे० उत्तीम महतो वो भुवनेश्वर महतो पे० सीता महतो वो राधिका देवी पे० रामेश्वर महतो वो शीबु महतो पे० खेदन महतो वो कलकती महतो वो बालेश्वर महतो पे० जुगल महतो।	खेसरा का शेष अंश	खेसरा का शेष अंश	नवाडीह डुबा नं०–49	चितरपुर नं०–91
2	6	30	रैयती	बाड़ी–2	0.10	उगनी देवी पे० अर्जुन महतो वो अंग्रेज यादव वो चन्दर यादव पे० डहरू महतो वो खीरो महतो वो केलू महतो पे० उत्तीम महतो वो भुवनेश्वर महतो पे० सीतो महतो वो राधिका देवी पे० रामेश्वर महतो।				
3	7	21	रैयती	बाड़ी–2	0.02	दिनेश्वर प्रसाद वल्द बैधनाथ लाल (ज०रै०)।				
4	7	60	रैयती	बाड़ी–2	0.02	दिनेश्वर प्रसाद वल्द बैधनाथ लाल (ज०रै०)।				
5	8	20	रैयती	धानी–3	0.05	तथैव।				
6	9	58	रैयती	बाड़ी–1	0.02	मेधु पुजहर वो चन्द्ररू पुजहर पे० संतु पुजहर वो ननकु पुजहर पे० तिरण पुजहर वो हीरो पुजहर पे० पोकड़ी पुजहर वो रंजीत पुजहर पे० मदन पुजहर वो नकुल पुजहर पे० फागु पुजहर वो कोकील पुजहर पे० विशन पुजहर वो बड़ा प्रदेशी पुजहर पे० भीमसरी पुजहर वो बदली देवी वो मंगरी देवी पे० तिलक पुजहर वो दौलत पुजहर पे० सुकर पुजहर वो देवती देवी वो उपसी देवी पे० बंशी पुजहर वो बंगाली देवी पे० मोहन पुजहर वो गणेश पुजहर वो वकील पुजहर पे० सहर पुजहर वो कलावती देवी पति जतरा पुजहर वो सोना				

						पुजहर पे० शकील पुजहर वो परमे पुजहर वो गुली पुजहर माता कलशी देवी वो कमली देवी वो रंगीया देवी वो शंकरी देवी पे० आशो पुजहर वो अदीन पुजहर पे० बुधन पुजहर वो हरी पुजहर वो छोटा प्रदेशी पुजहर पे० सथर पुजहर।				
7	9	54	रैयती	बाड़ी–1	0.03	तथैव।				
8	17/क	32	रैयती	बाड़ी–2	0.03	सतन पुजहर बल्द हुलाशा पुजहर जाति नइया। (ज०रै०)।				
9	17/क	25	रैयती	बाड़ी–2	0.05	तथैव।				
10	17/क	28	रैयती	बाड़ी–2	0.10	तथैव।				
11	19	1	रैयती	बाड़ी–2	0.15	नासीर मियां वो वसीर मियां वो समरूद्दीन मियां वो सहरूद्दीन मियां पे० जुमन मियां वो जेसन बीबी पति बदरूद्दीन मियां वो बेगम बीबी पति रमजान मियां वो खाइन बीबी पति हमीद मियां वो हबीब मियां पे० गेनो मियां वो अजाद अंसारी पे० चेराउद्दीन मियां मियां वो मो० अली वो नेजाम अंसारी वो कासीम अंसारी वो नौसाद अंसारी वो नुर अंसारी पे० हारून मियां वो जबीरन बीबी पति शहादत मियां वो फतीमा बीबी पे० डोमन मियां वो सलीम अंसारी पे० इदरीस मियां वो कलू बीबी पति स्व० इसरल मियां वो शमसुद्दीन मियां पे०स्व० पहलू मियां।				
12		52	रैयती	बाड़ी–2	0.04	मुस्तवाहा।				
कुल रकवा–					**0.74**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर 8.10.21 — अपर समाहर्त्ता, देवघर — समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर।

ज्ञापांक 1779 / भू अ०, देवघर, दिनांक 28/10/2021

प्रतिलिपि : संबंधित भू धारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवीपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला समान्य शाखा, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला गजट के आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी, देवघर
8-10-21 08/10/21

अपर समाहर्त्ता, देवघर

27/10/2021
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।